सिविल विविध।

डी. के. महाजन और गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति के समक्ष

हरज्ञान सिंह आदि, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, प्रतिवादी

1970 की सिविल रिट संख्या 2756

4 मई, 1971

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का XXIII) - धारा 12, जैसा कि पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम (1970 का XXV) *द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, और धारा 16 - भारत का संविधान* (1950) - *अनुच्छेद 14* - बाजार समिति के चुनाव के अधिकार को छीनने वाली धारा 12 - क्या अलोकतांत्रिक और अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। *संविधान* की धारा 14 - धारा 12 *के लागू होने* के बाद नामित बाजार समिति - *क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार है।*

अभिनिर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति को बाजार समिति के सदस्य के पद के लिए चुनाव का अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह से विधायिका पर निर्भर करता है कि वह अपने सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया या उनके नामांकन द्वारा बाजार समितियों के गठन की व्यवस्था करे। कानून द्वारा पंजाब कृषि उपज मंडी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 1970 ने प्रमुख अधिनियम में धारा 12 को

प्रतिस्थापित करते हुए चुनाव द्वारा नहीं बल्कि नामांकन द्वारा बाजार समिति का गठन करने का विकल्प चुना है। चूंकि राज्य विधानमंडल के पास बाजार समितियों के सदस्यों के नामांकन के लिए उनके सदस्यों के चुने जाने के बजाय उनके नामांकन का प्रावधान करने के लिए विधायी शक्ति का अभाव नहीं है, इसलिए प्रतिस्थापित धारा 12 अलोकतांत्रिक नहीं है। (पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम के आधार पर, पूरे हरियाणा राज्य के लिए प्रमुख अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है। जहां तक बाजार समितियों के निर्वाचन के स्थान पर उनके नामांकन के तत्व को शामिल करने का संबंध है, उस राज्य की सभी बाजार समितियां समान हैं। कोई विवेकाधीन शक्ति प्रदान नहीं की गई है, भले ही निरंकुश चरित्र की कोई शक्ति न हो, धारा 12 के स्थान पर राज्य सरकार को चुनाव या नामांकन द्वारा बाजार समितियों के गठन के लिए अधिसूचित बाजार क्षेत्रों को चुनने और चुनने का अधिकार दिया गया है। संशोधन के बाद, राज्य में सभी बाजार समितियों के लिए समान रूप से लागू एकमात्र नियम नामांकन का नियम है। इसलिए धारा 12 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करती है। (पैरा 10)

पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम, 1961 की धारा 16, जो एक बाजार समिति को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करने की शक्ति प्रदान करती है, प्रधान अधिनियम के अन्य प्रावधानों को बदलने या संशोधित किए जाने के बावजूद मूल अधिनियम में अछूती और बरकरार रही है। अधिनियम की धारा 16 (1) में कोई संदेह नहीं है;कोई विक्रेता, चाहे वह संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले चुना गया हो या संशोधन अधिनियम द्वारा यथासंशोधित धारा 12 के तहत नाम-निर्देशित किया गया हो, समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने का हकदार है। (पैरा 11)

हरज्ञान सिंह आदि थे। *(v)* हरियाणा राज्य आदि (गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि पंजाब कृषि उपज को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए। बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम सं.1970 की याचिका सं 25 *और आगे प्रार्थना करता हूं कि* 29 अगस्त, 1970 को हुए पदाधिकारियों के चुनाव को *रद्द कर दिया जाए।*

जे.के. शर्मा, वकील, याचिकाकर्ताओं के लिए।

सी. डी. दीवान, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, जी. के आसपास। गार्ग, और जे। बहुत। गुप्ता, वकील, प्रतिवादी संख्या 2 से 4, 6 से 17 के लिए।

निर्णय

इस न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा दिया गया था -

गोपाल सिंह, न्यायमूर्ति -(1) यह कृषि उपज के उत्पादक हरज्ञान सिंह, लाइसेंसधारी लक्ष्मी चंद, और मनसा राम, तौलमैन द्वारा पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत रिट याचिका है, जिसे हरियाणा राज्य तक विस्तारित किया गया है, जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है याचिका हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ दायर की गई है।

(2) याचिका में उठाए गए बिंदुओं से संबंधित तथ्य और अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(3) इस अधिनियम का उद्देश्य कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण का बेहतर विनियमन और पंजाब राज्य में कृषि उपज के लिए बाजारों की स्थापना करना है। 'समिति' शब्द की परिभाषा धारा 2 (डी) में दी गई है। इसका अर्थ धारा 11 और 12 के तहत स्थापित और गठित

एक बाजार समिति है। धारा 6 के तहत, राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कतिपय क्षेत्रों को अधिसूचित बाजार क्षेत्र घोषित किया है। धारा 11 के तहत, राज्य सरकार ने अधिसूचना द्वारा प्रत्येक अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए एक बाजार समिति स्थापित करने का आदेश दिया है। धारा 12 इस प्रकार है:-

(1) एक बाजार समिति नौ या सोलह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में अवधारित करे, जिनमें से एक को राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकारियों में से नियुक्त किया जा सकेगा:

परन्तु जहां किसी अधिसूचित बाजार क्षेत्र में एक सहकारी समिति अस्तित्व में है, समिति में दस या सत्रह सदस्य होंगे, जैसा भी मामला हो।

(2) शेष सदस्यों का निर्वाचन इसके अधीन उपबंधित निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा विहित रीति से किया जाएगा, अर्थात्-

(a) यदि समिति में नौ सदस्य होने हैं, तो निर्वाचित किए जाएंगे-

(i) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों द्वारा अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों से पांच सदस्य;

(ii) संबंधित अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस रखने वाले व्यक्तियों द्वारा; और

(iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा;

(b) यदि समिति दस सदस्यों से मिलकर बनती है, तो खंड (क) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, ऐसी समितियों द्वारा सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य चुना जाएगा;

(c) यदि समिति में 16 सदस्य होते हैं, तो निर्वाचित किए जाएंगे-

(i) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर स्थित ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों द्वारा अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों से नौ सदस्य;

(ii) संबंधित अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से चार सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा; और

(iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य, उस धारा के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों द्वारा।

(4) निम्नलिखित अनुभाग 43 उप-धारा (2) के दो खंड इस प्रकार हैं; (i) अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां प्रदान करना निम्नानुसार है -

(i) बोर्ड, सलाहकार समितियों और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति या चुनाव और चुनाव का तरीका, जैसा भी मामला हो, और उन्हें हटाया जाना;

(ग्यारह) समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव, उनकी शक्तियां और कार्यालय की शर्तें।

(5) अधिनियम की धारा 11 के तहत, राज्य सरकार ने समालखा के

अधिसूचित बाजार क्षेत्र के लिए बाजार समिति की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी की। 1985 में, समालखा की बाजार समिति के सदस्यों का चुनाव आयोजित किया गया था और अधिनियम की धारा 12 में प्रदान किए गए अनुसार बाजार समिति का गठन किया गया था। चूंकि सदस्यों को तीन साल की अवधि के लिए चुना गया था, निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1968 में समाप्त होना था। 1968 में और उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ और परिणामस्वरूप कोई बाजार समिति गठित नहीं की जा सकी। 1968 में, अधिनियम की धारा 35 के तहत एक प्रशासक नियुक्त किया गया था, जो बाजार समिति को अधिनियम द्वारा या उसके तहत लगाए गए कर्तव्यों का पालन करने के लिए अधिग्रहीत करता था।

(6) हरियाणा के राज्यपाल ने 7 मई, 1970 को पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, संख्या 6, वर्ष 1970 को प्रख्यापित किया, जिसके बाद पंजाब कृषि नामक सिद्धांत अधिनियम में संशोधन करते हुए 'संशोधन अध्यादेश' कहा गया।

उपज बाजार अधिनियम, 1961 अध्यादेश की धारा 2 द्वारा, बाजार समितियों के गठन से संबंधित निम्नलिखित धारा 12 को मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर रखा गया था:-

(1) एक समिति नौ या सोलह सदस्यों से मिलकर बनेगी, जैसा कि राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्धारित करे- जिनमें से एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा:

परन्तु जहां अधिसूचित बाजार क्षेत्र में एक सहकारी समिति अस्तित्व में है, समिति में दस या सत्रह सदस्य होंगे, जैसा भी मामला हो।

(2) शेष सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार अधिसूचना द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा:-

(a) यदि समिति में नौ सदस्य होने हैं, तो नाम-निर्देशित किए जाएंगे-

(i) अधिसूचित बाजार क्षेत्र के उत्पादकों में से पांच सदस्य;

(ii) धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य; और (iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से एक सदस्य;

(b) यदि समिति में दस सदस्य होने हैं, तो खंड (क) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में उल्लिखित सदस्यों के अलावा, सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य नामित किया जाएगा;

(c) यदि समिति में सोलह सदस्य होने हैं, तो नाम-निर्देशित किए जाएंगे-

(i) उत्पादकों में से नौ सदस्य: अधिसूचित बाजार क्षेत्र के;

(ii) धारा 10 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से चार सदस्य; और

(iii) धारा 13 के तहत लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों में से दो सदस्य;

(7) इस संशोधन के द्वारा, बाजार समितियों के चयन की धारा 3 को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर यह प्रावधान किया गया है कि उन समितियों के सदस्य मनोनीत होंगे। राज्य सरकार द्वारा समालखा की बाजार समिति के नामित सदस्यों के नामों को अधिसूचित करने के बाद, अध्यक

और बाजार समिति के उपाध्यक्ष को 29 अगस्त, 1970 को समिति के उन नामित सदस्यों द्वारा चुना गया था। उपरोक्त अध्यादेश को 18 सितंबर, 1970 को पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम संख्या XXV 1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे बाद में 'संशोधन अधिनियम' कहा जाता है। इसने संशोधन अध्यादेश की धारा 2 को दोहराया और मूल अधिनियम की धारा 12 को अध्यादेश द्वारा मूल अधिनियम की धारा 12 के लिए पुनर्गठित किया। संशोधन अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) में खंड (i) और (iii) को निम्नलिखित खंडों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है -

(i) बोर्ड और समितियों के सदस्यों की नियुक्ति या नामांकन और उन्हें हटाना।

(ii) समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और पदावधि।

(8) याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री जेके शर्मा ने निम्नलिखित दो मुद्दे उठाए हैं -

(1) संशोधन अधिनियम की धारा 12 अलोकतांत्रिक है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

(2) यह कि बाजार समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, उन कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों का चुनाव अवैध है।

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया पहला बिंदु यह है कि संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, मूल रूप से प्रमुख

हरज्ञान सिंह आदि थे। *(v)* हरियाणा राज्य आदि (गोपाल सिंह, जे)

अधिनियम की धारा 12 में दिए गए बाजार समिति के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान को धारा 12 के नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो याचिकाकर्ताओं को बाजार समिति के सदस्यों के रूप में चुने जाने के अधिकार को समाप्त करता है। यह तर्क दिया जाता है कि संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम दोनों में बाजार समिति के सदस्यों के नामांकन का प्रावधान अलोकतांत्रिक है और याचिकाकर्ताओं को बाजार समिति के सदस्यों के रूप में चुने जाने के उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं में बाजार समिति के सदस्य के पद के लिए चुनाव का कोई अधिकार नहीं है। बाजार समितियों के गठन का प्रावधान करना पूरी तरह से विधायिका का काम है।

इसके सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया द्वारा या उनके नामांकन द्वारा। विधायिका ने संशोधन अध्यादेश और संशोधन अधिनियम द्वारा बाजार समिति का गठन नामांकन द्वारा करने का विकल्प चुना है, न कि चुनाव द्वारा। याचिकाकर्ताओं के मामले में ऐसा नहीं है कि राज्य विधायी प्राधिकरण, चाहे वह संशोधन अध्यादेश जारी कर रहा हो या संशोधन अधिनियम को अधिनियमित कर रहा हो, के पास नामित की जा रही समिति के सदस्यों के लिए अधिनियमन में प्रावधान करने की कोई शक्ति नहीं है। निस्संदेह, बाजार समितियों का गठन करने के लिए राज्य विधायी प्राधिकरण को अपने सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान करके उनका गठन करने की उतनी ही शक्ति है जितनी कि राज्य सरकार या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा उनके नामांकन का प्रावधान करके, जो उसके द्वारा पदनामित की जाए। यदि निर्वाचित बाजार समितियां अक्षम पाई जाती हैं और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में चूक करती हैं और अपने कार्यों को अप्रभावी ढंग से करती हैं, तो राज्य विधायी प्राधिकरण को नामित लोगों द्वारा निर्वाचित बाजार

समितियों को प्रतिस्थापित करने के लिए कानून का प्रावधान करने की पूरी आवश्यकता होगी। विधायी प्राधिकरण के रूप में, राज्यपाल और राज्य विधानमंडल दोनों के पास अपने सदस्यों के निर्वाचित होने के बजाय बाजार समितियों के सदस्यों के नामांकन के लिए प्रावधान करने के लिए विधायी शक्ति की कमी नहीं है, यह बात कि बाजार समितियां अलोकतांत्रिक हैं, निराधार है।

(10) इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 12 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। इस बिंदु का भी कोई बल नहीं है। संशोधन अध्यादेश के साथ-साथ संशोधन अधिनियम के आधार पर, पूरे हरियाणा राज्य के लिए प्रमुख अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है। जहां तक बाजार समितियों के निर्वाचन के स्थान पर उनके नामांकन के तत्व को शामिल करने का संबंध है, उस राज्य की सभी बाजार समितियां समान हैं। धारा 12 के तहत राज्य सरकार को चुनाव या नामांकन द्वारा बाजार समितियों के गठन के लिए अधिसूचित बाजार क्षेत्रों को मनमाने ढंग से चुनने और चुनने का अधिकार दिया गया है। संशोधन के बाद, राज्य में सभी बाजार समितियों के लिए समान रूप से लागू एकमात्र नियम नामांकन का नियम है। एक बाजार समिति और दूसरी के बीच भेदभाव की दलील याचिकाकर्ताओं के लिए आग्रह करने के लिए खुली नहीं है। विवाद का कोई कारण नहीं बताया गया है। यह तर्क कि अधिनियम की धारा 12 में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, बिना किसी आधार के है।

(11) अब, 29 अगस्त, 1970 को संशोधन अध्यादेश की धारा 12 के तहत नामित बाजार समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद लिए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि

अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, संशोधन अध्यादेश की धारा 12 के तहत नामित बाजार समिति के सदस्य इन कार्यालयों के लिए किसी भी व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकते हैं। इन पदों के लिए चुनाव 29 अगस्त, 1970 को हुए होने के कारण, 18 सितंबर, 1970 को लागू हुए संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में कोई भौतिकता नहीं है और इसलिए उक्त उप-धारा के पुराने खंड (i) और (iii) के स्थान पर प्रधान अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (2) में नए खंड (i) और (iii) का संदर्भ प्रासंगिक नहीं है। मूल अधिनियम की धारा 16 निम्नानुसार है -

(1) प्रत्येक समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(12) अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए बाजार आयोग को प्रतिशक्ति प्रदान करने वाला यह प्रावधान मूल अधिनियम में अछूता और अक्षुण्ण रहा है, जबकि मूल अधिनियम के अन्य उपबंधों में परिवर्तन किया गया है या उनमें संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 16(1) इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि एक बाजार समिति, चाहे वह संशोधन अध्यादेश लागू होने से पहले चुनी गई हो या अब संशोधन अध्यादेश द्वारा संशोधित धारा 12 के तहत नामित की गई हो, समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने की हकदार है। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा उनके नामांकन द्वारा गठित बाजार समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कुछ भी गलत नहीं है।

(13) ऊपर दर्ज किए गए 10 वी के कारण, इसे खारिज कर दिया गया। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
पानीपत, हरियाणा